

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(2)एमई/ग्रुप-1/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 22/6/2021

आदेश

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 56 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के तहत शासित चिकित्सक शिक्षक, जो एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी है, के लिए इस विभाग के समसमंख्यक ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 17.4.2018 द्वारा 8 पदों को प्रशासनिक पदों के रूप में परिभाषित किया गया था।

इसी क्रम में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर के लिए निम्नांकित पदों को भी चिकित्सक शिक्षकों के लिए प्रशासनिक पद परिभाषित किया जाता है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (अकादमिक)
2. उप निदेशक (अकादमिक)
3. सहायक निदेशक (अकादमिक)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,
22/6/2021
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी (राजमेस), जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर, उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

22/6/2021
संयुक्त शासन सचिव